UPRP010053262022

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0एक्ट, रामपुर।
उपस्थितः शाज़िया नज़र ज़ैदी, एच.जे.एस. (यू0पी05994)

सिविल निगरानी संख्याः–30/2022 (कम्प्यूटर नम्बर 41/2022)

मौ० जमील उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री मौ० इस्माईल, निवासी टाण्डा खास मौहल्ला रांड परगना व तहसील स्वार जिला रामपुर वर्तमान तहसील टाण्डा जिला रामपुर।

-------- निगरानीकर्ता।

बनाम

1– श्रीमती अनीस बेगम पत्नी बालिग मौ० सलीम निवासी राहूपुरा कस्बा व टाण्डा, जिला रामपुर।

2– श्रीमती मुनीफा बेगम बालिग पत्नी मौ० फारूख निवासी मौहल्ला बरगद कस्बा व तहसील टाण्डा, जिला रामपुर।

3– मौ० साजिद बालिग पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी मौहल्ला भव्वलपुरी परगना व तहसील टाण्डा जिला रामपुर।

---------विपक्षीगण।

निर्णय

निगरानीकर्ता द्वारा यह सिविल निगरानी न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, रामपुर द्वारा मूलवाद सं०–29/2014, जमील बनाम श्रीमती अनीसा बेगम आदि में पारित आदेश दिनांकित 02–09–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 90c को खारिज किया गया है।

प्रस्तुत निगरानी से संबंधित सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/वादी द्वारा विपक्षीगण सं०–1 ता 3 के विरूद्ध मूलवाद सं०–29/2014, मौहम्मद जमील बनाम श्रीमती अनीसा बेगम आदि विपक्षी सं०–3 मौ० साजिद द्वारा विपक्षी सं०–1 श्रीमती अनीस बेगम व विपक्षी सं०–2 श्रीमती मुनीफा बेगम के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 17–12–2013/09–01–2014 के निरस्तीकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया। दौरान विचारण निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 90c प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में विस्तृत कथन करते हुए निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि तथाकथित पंजीकृत बयनामा दिनांकित 17–12–2013/09–01–2014 का निष्पादन जिस पंजीकृत बयनामा दिनांकित 27/29–12–1993 के आधार पर कराया गया, उक्त बयनामा मूलवाद सं०–325/1994 में निरस्त हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में तथाकथित बयनामा दिनांकित

Digitally signed by SHAZIA NAZAR ZAIDI
Date: 2024.08.16 17:58:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

17–12–2013/09–01–2014 निष्पादन व पंजीकरण की दिनांक को बिना किसी विधिक अधिकार के निष्पादित होने के कारण आकृत, शून्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेज है। यह भी वर्णित किया गया कि तथाकथित पंजीकृत बयनामा दिनांकित 27/29–12–1993 के आधार पर विक्रेता विपक्षी सं०–3 का नाम कभी भी राजस्व अभिलेखमें दर्ज नहीं हुआ। मुख्य रूप से उक्त आधार पर पंजीकृत बयनामा दिनांकित 17–12–2013/09–01–2014 को आकृत व शून्य होने के आधार पर निरस्त करते हुए इसकी सूचना सब रजिस्ट्रार टाण्डा, जनपद रामपुर को भेजे जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विपक्षी सं०–3 मौहम्मद साजिद द्वारा आपत्ति 105c प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह आपत्ति की गयी कि उक्त प्रार्थना पत्र वाद बिन्दू की संरचना के उपरान्त दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र 90c के माध्यम से जो अनुतोष मांगा गया है वह साक्ष्य उपरान्त मूलवाद के गुण–दोष पर निस्तारण के आधार पर ही प्रदान किया जा सकता है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 90c व आपत्ति 105c पर सुनने के उपरान्त विद्वान परीक्षण न्याायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–09–2022 के माध्यम से प्रार्थना पत्र 90c को गुण–दोष के आधार पर निरस्त किया गया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी।

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–09–2022 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विपरीत है। आक्षेपित आदेश विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 के माध्यम से इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी/प्रतिवादी सं०–3 मौ० साजिद द्वारा प्रतिवाद पत्र 20A दिनांकित 21–01–2014 के माध्यम से निगरानीकर्ता/वादी के मूलवाद में किये गये सम्पूर्ण कथनों को स्वीकार कर लिया गया ऐसी परिस्थिति में आदेश 12 नियम 6, आदेश 15 नियम 1 सी०पी०सी० तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 एवं 58 के प्रावधानित विधिक स्थिति के आधार पर उसकी ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 90c स्वीकृत होने योग्य रहा, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से उसे निरस्त करके अपने में निहित क्षेत्राधिकार का सही व समुचित प्रयोग नहीं करके अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। मुख्यतः उपरोक्त आधार पर आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–09–2022 को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उनकी ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी, मौखिक आपत्ति करते हुए

यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश पूर्ण रूप से विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई न्यायोचित आधार उपलब्ध नहीं है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रश्नगत आदेश दिनांक 02–09–2022 एवं पत्रावली का भली–भाँति अवलोकन किया।

आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–09–2022 के अवलोकन से यह प्रकट हुआ कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 90c को गुण दोष के आधार पर मुख्य रूप से यह निष्कर्षित करते हुए निरस्त किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र 90c में वांछित अनुतोष और मूलवाद पत्र में वांछित अनुतोष सामान हैं। मूलवाद पत्र में वांछित अनुतोष गुण–दोष के आधार पर निस्तारण होने के उपरान्त ही दिया जा सकता है। साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 के माध्यम से पंजीकृत बयनामा दिनांकित 17–12–2013/09–01–2014 के आकृत व शून्य उदघोषित किये जाने की प्रार्थना मुख्य रूप से इस आधार पर की गयी कि विपक्षी/प्रतिवादी सं०–3 मौ० साजिद द्वारा मूलवाद में प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र 20A दिनांकित 29–01–2014 के माध्यम से निगरानीकर्ता/वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद के समस्त कथनों को स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी परिस्थितिया में आदेश 12 नियम 6, आदेश 15 नियम 1 सी०पी०सी० तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 एवं 58 के प्रावधानित विधिक स्थिति के आधार पर उसकी ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 90c स्वीकृत होने योग्य रहा, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से उसे निरस्त करके अपने में निहित क्षेत्राधिकार का सही व समुचित प्रयोग नहीं करके अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। समर्थन में निगरानीकर्ता/वादी की ओर से विधि व्यवस्थाएं उत्तम सिंह दुगल एण्ड कं० लि० बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य निर्णीत दिनांक 08–08–2000, करम कपाही एवं अन्य बनाम मेसर्स लालचन्द पब्लिक चैरीटेबुल ट्रस्ट एवं एक अन्य, सिविल अपील सं०–3048/2010 निर्णीत दिनांक 07–04–2010, रवीश चन्द जैन बनाम राजरानी जैन, सिविल अपील सं०–1822/2015, निर्णीत दिनांक 12–02–2015, चन्द्र पाल सिंह बनाम नियत प्राधिकारी, अलीगढ़ तथा अन्य, सिविल प्रकीर्ण रिट अर्जी सं०–23843/1996 निर्णीत दिनांक 10–05–2000, श्रीमती गौसिया खाँ तथा अन्य बनाम श्रीमती अलिया बेगम तथा अन्य, सिविल पुनरीक्षण सं०–19/2002, निर्णीत दिनांक 24–03–2003 एवं श्रीमती कमला देवी बनाम विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद एवं अन्य, 2013 प्र०नि०प्र० 450 (सिविल) दाखिल की गयी हैं।

इस संदर्भ में संबधित मूलवाद की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र 90c का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता/वादी द्वारा निगरानी में दिये गये उपरोक्त मुख्य आधार में जो कथन किये गये हैं, उनका वर्णन कहीं भी उक्त प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 में नहीं किया गया है बल्कि, उक्त प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 में निगरानीकर्ता/वादी द्वारा जो कथन किये गये हैं तथा मूलवाद पत्र में जो अभिकथन किये गये हैं वह एक समान हैं। मूलवाद की पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि मूलवाद में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 02–11–2015 को वाद बिन्दु विरचित किये गये तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत रही। उक्त स्तर पर निगराानीकर्ता/वादी द्वारा मूलवाद में किये गये अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए मूलवाद पत्र में मांगे गये अनुतोष के सामान अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना उक्त प्रार्थना पत्र 90c के माध्यम से की गयी। चूंकि प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 वाद बिन्दु की संरचना के उपरान्त वादी साक्ष्य के स्तर पर प्रस्तुत किया गया था ऐसी परिस्थिति में उभय पक्ष द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अन्तिम निस्तारण से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से निगरानीकर्ता/वादी को मूलवाद पत्र में मांगे गये अनुतोष को प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त स्तर पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 निरस्त होने योग्य रहा। अतः निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में लिए गये उपरोक्त मुख्य आधार में कोई बल होना नहीं पाया जाता है। उक्त आधार के समर्थन में प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न तथ्य एवं परिस्थिति होने के कारण कोई लाभ निगरानीकर्ता को नहीं दिया जा सकता है। अतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–09–2022 के माध्यम से निगरानीकर्ता/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 90c दिनांकित 03–03–2022 को निरस्त करने में कोई विधिक एवं क्षेत्राधिकार संबंधित त्रुटि कारित की जानी परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी निरस्त होने योग्य है तथा विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–09–2022 पुष्ट होने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी सं०–33/2022, मौ० जमील बनाम श्रीमती अनीस बेगम निरस्त की जाती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय, रामपुर द्वारा मूलवाद सं०–29/2014, जमील बनाम श्रीमती अनीसा बेगम आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–09–2022 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति मय मूल संबंधित पत्रावली, संबंधित विद्वान परीक्षण न्यायालय प्रेषित की जाये। पक्षकार विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04–09–2024 को उपस्थित हों।

(शाज़िया नज़र ज़ैदी)
दिनांक 13–08–2024 अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रामपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(शाज़िया नज़र ज़ैदी)
दिनांक 13–08–2024 अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रामपुर।
I.D.No–U.P.5994